न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), मौजमाबाद, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी : बलबीर सिंह, R.A.S.

प्रकरण : प्रार्थना पत्र

(GCMS No.) 2023/644

1. अजीतलाल पुत्र श्री ताराचन्द जाति डोम निवासी टूटेरे पोस्ट मिरान साहिब तहसील आर एस पूरा जम्मू एण्ड कश्मीर हाल निवासी वार्ड नम्बर 19 जूना हेडा कोटपूतली जिला जयपुर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. स्वाती राठी पत्नी श्री कैलाश राठी जाति महाजन निवासी 804 पार्क वैशाली अपार्टमेंट गौतम मार्ग वैशाली नगर जयपुर जिला जयपुर राज0।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्रः– अर्न्तगत धारा 251 अ रा.टी.ए एक्ट ।

उपस्थित : 1. श्री राधेश्याम लक्षाकार, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. विपक्षी सं 1 अनुपस्थित

: : आदेश : :

दिनांक :– 08.05.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गौखमपुरा तहसील मौजमाबाद मे स्थित आराजी नम्बर 419 रकबा 1.2500 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 1.2500 है0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। आराजी संख्या 1039/418 जो किस्म बारानी 1 कृषि भूमि होकर विपक्षीगण के खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि आराजी न0 419 रकबा 1.2500 है0 में आने जाने के लिए वर्तमान में मौके पर अप्रार्थी के आराजी न0 1039/418 मे से होते हुये आता–जाता रहा है। वर्तमान में मौके पर कोई रास्ता नहीं है। इसलिये अब न्यायहित में प्रार्थी को संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित पीले रंग में दर्शितनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पहुँच तक चाहा गया है, जो संलग्न नजरी नक्शे में मार्क लाल स्याही से दर्शित किया गया हैं। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की उक्त खातेदारी में जाने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। जितनी जमीन प्रार्थी को रास्तें हेतु दी जावेगी, उसके बदले प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा कराने को तैयार व तत्पर है। उक्त रास्ता अप्रार्थी की खातेदारी से कम करते हुये राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज फरमाया जावें एवं पालनार्थ तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस की गई। विपक्षी सं01 बाद तामिल सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व कार्यवाही एकतरफा की गई । पेरोकार राज उपस्थित हुए। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम मे तहसीलदार मौजमाबाद से मौका

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा से प्राप्त रिपोर्टनुसार निम्नानुसारः–

1. यह है कि वादी अजीतलाल पुत्र ताराचन्द जाति डोम नि0 टूटरें पो0 मिरान साहिब तह0 आ0एस0पुरा जिला जम्मू राज्य जम्मू एण्ड कश्मीर हाल नि0 वार्ड न0 1 जूना हेडा कोटपूतली खाते द्वारा अपने ख0न0 419 रकबा 1.25 है0 में आने जाने हेतुख0न0 1089/418 रकबा 0.39 है0 में से 30 फीट (9.14मीटर) चौड़ा रास्ता चाहा गया है।
2. उक्त ख0न0 1039/418 रकबा 0.39 है0 स्वाती राठी पत्नि कैलाश राठी जाति महाजन निवासी जयपुर के नाम रिकार्ड दर्ज है।
3. वादी के खेत के ख0न0 419 में आने जाने हेतु अन्य कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता नहीं है।
4. ख0न0 419 में जाने हेतु वादी निकटतम दूरी ख0न0 1039/418 में से आना जाना करता है।
5. आवेदित रास्ते के ख0न की किस्म (बारानी–1) प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं आती है।
6. आवेदित भूमि के लिये खसरा नम्बर 1039/418 रकबा 0.3921 है0 में से 9.14 X14 = 585 वर्गमीटर भूमि है। उक्त रकबे की डीएलसी दर [illegible] गुना प्रतिकर बनता है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। एवं उपलब्ध
दस्तावेज जमाबन्दी 2073–2076 अनुसार राजस्व ग्राम मौखमपुरा पटवार
हल्का मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद में स्थित आराजी संख्या 419 रकबा 1.
2500 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी मे आवागमन
हेतु प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण आराजी नम्बर 1039/418 मे से रास्ता चाहा गया।
। प्रस्तावित रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु
मौके व रिकॉर्ड मे वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है, प्रार्थी द्वारा विपक्षी की
भूमि से चाहे गये रास्ते की वास्तविक आवश्यकता है एवं वैकल्पिक रास्ता
मौजुद नही है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि मे आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी
नम्बर मे से 585 वर्गमीटर रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा
प्रस्तुत रिपोर्ट मे प्रार्थी को अपनी भूमि मे आवागमन हेतु 9.14 मीटर X 64
मीटर लम्बा रास्ता प्रस्तावित किया गया है,जो नियमानुसार होकर प्रार्थी को
दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गोविन्दपुरा तहसील मौजमाबाद के आराजी नम्बर 419 रकबा 1.2500 है0 भूमि मे प्रार्थी को आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1039/418 रकबा 0.3321 है0 में से इस आराजी के तहसील कार्यालय रिपोर्ट में द्वारा जारी नक्शे अनुसार चौडा रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा रास्ते के रूप मे प्रयुक्त होने वाले रकबे की डीएलसी दर की दुगुनी राशि प्रार्थी तहसील कार्यालय मे जमा करावे। तहसीलदार मौजमाबाद को आदेशित किया जाता है कि रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली भूमि पर अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर ही रास्ते के रूप मे प्रयुक्त होने वाले रकबे की प्रतिकर राशि की गणना डीआरए शाखा से करा प्रार्थी द्वारा उक्त राशि तहसील कार्यालय मे जमा होने पर सम्बधित पक्षकारान को भुगतान के उपरान्त निर्णय अनुसार पालना करे। उक्त रास्ता आमजन के आवागमन के लिए सार्वजनिक रूप से खुला रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

यह आदेश आज दिनांक 08/11/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलबीर सिह)
उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद, जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद (जयपुर)